भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-114

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

केरल में महाविद्यालय शिक्षकों के लिए 7वां यूजीसी वेतन संशोधन का बकाया

†114. **एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने शुरू में महाविद्यालय शिक्षकों के लिए 7वें यूजीसी वेतन संशोधन के बाद के बकाया का दावा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पूरा था और सरकार से वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक सभी शर्तों के अनुसार था;

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव में अनुपालन के किन विशिष्ट पहलुओं या शर्तों को पूरा नहीं किया गया था; और

(घ) क्या इन बकाया को मंजूरी देने के लिए पुनर्विचार करने या प्रावधान करने की कोई संभावना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाविद्यालय के शिक्षक 7वें यूजीसी वेतन संशोधन के अनुसार हकदार वेतन लाभ प्राप्त करें?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): केरल राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना के कार्यान्वयन संबंधी 50% केन्द्रीय भाग की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 50% केन्द्रीय भाग की

प्रतिपूर्ति योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के साथ योजना के कार्यान्वयन के अध्यधीन है। केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई और पाया गया कि यह योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अपूर्ण है। केरल राज्य सरकार को इस मंत्रालय के दिनांक 02.11.2017 और 26.07.2018 के पत्रों के माध्यम से जारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि का वचनपत्र, विधिवत प्रमाणित संशोधित गणना पत्रक, अतिरिक्त जानकारी के लिए जांच सूची और प्रोफार्मा तथा उन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिनके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा योजना के तहत पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी और केरल सहित सभी राज्यों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस मंत्रालय को दिनांक 31.03.2022 तक या उससे पहले पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। केरल राज्य सरकार से उपर्युक्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित पूर्ण प्रस्ताव योजना की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 31.03.2022 को या उससे पहले प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए, इस योजना के तहत निधि जारी करने के लिए इनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। राज्य सरकार को केन्द्रीय भाग की प्रतिपूर्ति की योजना दिनांक 01.04.2022 से बंद कर दी गई है।

*****